उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

Email :: soexamtwo2@gmail.com

संख्या :: 127/03/E-02/DR/LSS/2024-25 दिनांक :: 06 अगस्त, 2025

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2024

श्रुतलेखक (scribe) संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 हेतु दिनांक 13.12.2024 को प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष दिनांक 11.05.2025 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 29.07.2025 को घोषित कर दिया गया है।

(2)– उक्त परीक्षा परिणाम में मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित ऐसे **दिव्यांगजन अभ्यर्थी** जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन–पत्र में **स्वयं श्रुतलेखक (scribe) लाने का दावा** किया गया था, ऐसे अभ्यर्थी श्रुतलेखक के सम्बन्ध में किये गये दावे के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के लिए विज्ञापन के परिशिष्ट 4(1) पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट 4(2) तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, के लिए परिशिष्ट 5(1) पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट 5(2) को पूर्णतः भरते हुए श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो के साथ परिशिष्ट 4(2) अथवा 5(2) में किए गए दावे के सापेक्ष श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका/प्रमाण–पत्र डाक द्वारा अथवा ई0–मेल **soexamtwo2@gmail.com** के माध्यम से **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404** को **दिनाँक 20 अगस्त, 2025** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। **श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होनी चाहिए किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होनी चाहिए।**

(3)– प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में **आयोग द्वारा श्रुतलेखक (scribe)** उपलब्ध कराए जाने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट 4(1) अथवा 5(1) पर निर्गत प्रमाण–पत्र **दिनांक 20 अगस्त, 2025** तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा ई–मेल **soexamtwo2@gmail.com** के माध्यम से **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र – परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार आवंटित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुतलेखक से मिल सकते हैं।

आयोग द्वारा निर्धारित तिथि 20 अगस्त, 2025 तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।